

**न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर**  
**रसद प्रार्थना पत्र संख्या 53/2022**

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

बनाम

.....प्रार्थी

मैसर्स रावत रेस्टोरेन्ट, एमडीएस, तिराहा के पास अजमेर  
श्री राजकमल रावत पुत्र श्री मदन सिंह रावत निवासी भूणाबाई, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

**आदेश**

दिनांक 14.12.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी अजमेर शहर, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक मैसर्स रावत रेस्टोरेन्ट, एमडीएस, तिराहा के पास अजमेर पर पहुँचे । उक्त दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए अप्रार्थी की फर्म से निम्न गैस सिलेण्डरों

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	102473	INDANE	16.2	19.2	3.0	Domestic Cylinder
2	101047	INDANE	15.3	18.3	3.0	Domestic Cylinder

को कब्जेराज लिया गया। वरवक्त जांच मैसर्स रावत रेस्टोरेन्ट, एमडीएस, तिराहा के पास अजमेर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध उपयोग किया जा रहा था । अप्रार्थी द्वारा एल. पी.जी. सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया । मौके पर चन्द्रायन गैस सर्विस, अजमेर शहर के कार्मिक अयूब खान पुत्र कयूब खान को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने के बाद आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए । प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

  
जिला कलक्टर  
अजमेर


हप  
किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 29.07.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये घरेलू गैस सिलेण्डरो को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि दिनांक 29.07.2022 को जिला रसद अधिकारी के जांच दल द्वारा मेरे विरुद्ध घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध रूप से उपयोग करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कार्यवाही की गई है। मेरे स्टॉफ द्वारा उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डर भूलवश/कानून की अज्ञानता के कारण रेस्टोरेन्ट में लगा दिये गये थें। मेरे स्टॉफ को आवश्यक वस्तु अधिनियम की जानकारी नहीं होने के कारण ऐसी गलती हुई है भविष्य में उक्त कृत्य दुबारा नहीं किये जाने व प्रकरण निरस्त हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 29.07.2022 के अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(अंश दीप)  
जिला कलक्टर  
अजमेर